



समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल, गवालियर म.प्र.

केम्प इन्डौर म.प्र.

पुनरीक्षण याचिका क्र. R- 4151- PB 412
श्रवण दिनांक

1. नरेन्द्र पिता राजाराम
2. श्रीपाद पिता राजाराम
3. चन्द्रकांत पिता राजाराम

अर्जुन शन्ति रुद्र
पांडिक जाती सभासंघ के सभी निवासी प्रतापपुरा, शहर एवं जिला बुरहानपुर म.प्र.
द्वारा आज यहांक

—याचिकाकर्तागण

विरुद्ध,

- 26-11-12 को
- ✓ 1. लीलाबाई पिता सोमेश्वर
 - ✓ 2. प्रवीण पिता सोमेश्वर
 - ✓ 3. जयंतकुमार पिता सोमेश्वर
 - ✓ 4. रमेश पिता श्रीधरराव
 - ✓ 5. सुरेश पिता श्रीधरराव
 - ✓ 6. पुष्पाबाई पिता श्रीधरराव

26-11-12 सभी निवासी प्रतापपुरा शहर एवं जिला बुरहानपुर म.प्र.

—अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भूरा.संहिता

याचिकाकर्तागण न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार बुरहानपुर के
रा.प्र.क्र.125-अ/6 सन 2004-05 में पारित आदेश दिनांक
26/9/2012 से पीड़ित एवं दुखी होकर अन्य आधारों सहित
निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते हैं।

प्रकरण के तथ्य

1. यहकि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि लीलाबाई बेवा सोमेश्वर एवं अन्य अनावेदकगण के द्वारा नजुल अधिकारी बुरहानपुर के न्यायालय में एक आवेदनपत्र संहिता की धारा 109, 110 संपर्चित धारा 94 के तहत प्रस्तुत कर बुरहानपुर शहर के ब्लाक नंबर 52 प्लाट नंबर 115 क्षेत्रफल 2080 वर्गफिट में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(४)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4151—पीबीआर/12

जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-1-2017	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री योगेश वर्मा उपस्थित। अनावेदकगण क्रमांक 1, 4, 5, व 6 की ओर से श्री हेमन्त मूर्गी अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक क्रमांक 2 व 3 पूर्व से एकपक्षीय। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सिविल न्यायालय से स्वत्व संबंधी निराकरण कराये जाने हेतु तीन माह का समय दिया गया था। अतः तीन माह की अवधि समाप्त हो चुकी है तथा अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। इस कारण यह निगरानी प्रकरण निरर्थक हो जाने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	